राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 94 / 2024

राजेश साह **–अपीलार्थी**

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. संयुक्त शासन सचिव, (ग्रुप– I), राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
4. जिला कलक्टर, कलक्टर कार्यालय, जिला–चित्तौड़गढ।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.03.2024
आदेश की दिनांक : 06.03.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री गोपाल लाल आचार्य, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 2013 में पटवारी के पद पर हुई तत्पश्चात् अपीलार्थी पटवार हल्का बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ से भीलवाडा में किया गया अर्थात् जिला चितौडगढ उदयपुर संभाग से भीलवाडा जो कि अजमेर संभाग में स्थित है। अपीलार्थी का आगे कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा किया जाकर राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जिला भीलवाडा में करीब 100 किमी दूर किया गया, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय इन्द्र सिंह बनाम राज्य में प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरूद्ध है। इसके साथ ही अपीलार्थी का परिवार चित्तौडगढ में रहता है। जिससे उसको पारिवारिक परेशानी का सामना करना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का आलोच्य आदेश के द्वारा स्थानान्तरण किया गया है जो विधि के विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–2) को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें जावें।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि कि अपीलार्थी वर्तमान पटवारी के पद पर पटवार हल्का, बानसेन, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पटवार हल्का बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ से भीलवाड़ा में प्रशासनिक आवश्यकता से राज्यहित में किया गया। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को सेवाएं प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी.532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण / पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> ***"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."***

5. अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 100 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (डब्लू.एल.सी. 2007(2) 276)** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> ***"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."***

6. लिहाजा अपीलार्थी के स्थानान्तरण में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

7. आदेश आज दिनांक 06.03.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य